178

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 7051—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 01—10—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 218/2013—14/अपील

विनोद पचौरी पुत्र छोटेलाल पचौरी
निवासी ग्राम रसीलपुर तहसील व
जिला मुरैना म0प्र0 ——— अपीलार्थी

विरूद्ध

कलेक्टर मुरैना एवं म0 प्र0 शासन ———प्रत्यर्थी

श्री कुवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री धर्मेन्द्र शुक्ला, अभिभाषक, प्रत्यर्थी

.....

आदेश

(आज दिनांक 22-12-16 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 01—10—2015 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 47 का (5) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि उप पंजीयक जिला मुरैना द्वारा पत्र कमंक 208 दिनांक 14.7.14 से प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला मुरैना की ओर भेजकर प्रतिवेदित किया गया कि दस्तावजे विकी कीमत 3,38,000/—रूपये में निष्पादित किया गया है जिसमें 21,230/— रूपये स्टाम्प चुकाया गया है। उक्त दस्तावेज की बाजारू कीमत 12,82,700/—

रूपये होने के कारण कमी स्टाम्प शुल्क रूपये 71,766/– वसूल किये जावें कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 209/2013–14/बी–105 पर दर्ज करते हुये पारित आदेश दिनांक 10.9.14 से निष्पादित दस्तावेज का बाजार मूल्य 12,82,700/– अवधारित किया जाकर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 71,766/– जमाकिये जाने के आदेश दिये गये। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.9.14 से परिवेदित होकर अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की जो उनके द्वारा प्रकरण कमांक 218/2013–14/अपील पर दर्ज कर दिनांक 1.10.15 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई जिससे दुखित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में धारा– 5 का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार करने का निवेदन किया गया है । उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण भूलवश मान0 उच्च न्यायालय ग्वालियर में प्रस्तुत कर दिया गया था जिसके कारण हुये बिलंब को मांफ किया जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि उप पंजीयक ने वास्तविक स्थिति के अनुसार नगर सीमा के बाहर की गाइड लाईन के अनुसार जो स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया वह सही है जिसे जिला पंजीयक ने समझे बिना जो आदेश पारित किया वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि नगर पालिका परिषद मुरैना ने अपने प्रपत्र जावक कमांक 2135/14 दिनांक 4.9.14 के द्वारा बताया कि ग्राम जीगनी नगर पालिका परिषद की सीमा से बाहर है इस तथ्य का परीक्षण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना व जिला पंजीयक ने समझे बिना जो आदेश पारित किया वह निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया है कि विकय विलेख का निष्पादन विक्रेता एवं केता के मध्य दिनांक 2.7.2014 को हुआ था । विकय विलेख पर गाइड लाईन के अनुसार स्टाम्प शुल्क चुकाया गया था किन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला मुरैना द्वारा मनमाने तरीके से गणना की जाकर कमी मुद्रांक शुल्क जमा किये जाने का आदेश दिया गया था लेकिन ग्राम जीगनी ग्राम पंचायत कार्यरत है। ग्राम जीगनी नगर पालिका सीमा में पंजीयन दिनांक तक नहीं था। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है

कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अपीलार्थी के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये, उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी अपील मेमों में उल्लेख किया गया है। शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि प्रावधानों से उचित हैं उनके हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अंत में शासन के पैनल अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील समयावधि वाहय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की अपील निरस्त की जावे।

5– मेरे द्वारा उभयपक्ष के तर्कानुक्रम में तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नाधीन दस्तावेज का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जिला मुरैना के समक्ष दिनांक 2.7.14 को कराया गया था । उप पंजीयक जिला मुरैना द्वारा दिनांक 14.7.14 को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला मुरैना को प्रतिवेदन प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया है कि उक्त दस्तावेज में न्यून मूल्यांकन होने से मूल्यका निर्धारण किया जावें कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला मुरैना द्वारा अपीलार्थी को सुनने के बाद विवेचना करने के उपरांत यह पाया गया कि जिस भूमि का विक्रय विलेख संपादित किया गया है, वह नगर पालिका सीमा के अन्दर है, जिसका बाजार मूल्य 12,82,700/–रूपये होता है । चूंकि अपीलार्थी द्वारा 21,230/– रूपये के स्टाम्प शुल्क चुकाया गया है, शेष कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 71,766/– जमा किये जाने का आदेश दिया।

अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से इस बिन्दु पर बल दिया गया है कि जिस दिनांक को दस्तावेज कानिष्पादन कराया गया था उस दिनांक को ग्राम जीगनी नगर पालिका सीमा के अन्दर नहीं था और न आज है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मानने योग्य नहीं है क्यों कि लिखित का निष्पादन उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 2.7.14 को हुआ है। अतः दिनांक 2.7.14 को प्रचलित दरों पर स्टाम्प शुल्क देय होगां नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना कमांक 20 एफ–131–2012 अठारह–3 भोपाल दिनांक 17.7.14 से ग्राम जीगनी को नगर पालिका सीमा से पृथक किया गया है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला मुरैना का प्रकरण कमांक 209/बी—105/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 10.9.14 एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का प्रकरण कमांक 218/अपील/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2015 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी की प्रस्तुत अपील तथ्यहीन होने से अग्राह की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर